न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 53/2016

अपीलाण्ट्स

1 मानाराम पुत्र सोनाजी
2 सुकीदेवी पत्नि भबूताराम
3 पूनमाराम पुत्र रामाजी
4 रगाराम पुत्र रामाजी
5 उकीदेवी पुत्री छोगाजी जातिगण चौधरी निवासीगण सामतीपुरा तहसील व जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. कुईयाराम पुत्र भोमाराम के का0मु0
1/1 सुमटी पत्नि कुईयाराम
1/2 मंजू पुत्री कुईयाराम
1/3 जसकी पुत्री कुईयाराम
1/4 जमनाराम पुत्र कुईयाराम
1/5 गुडीया पुत्री कुईयाराम
1/6 टीली पुत्री कुईयाराम
1/7 बस्सी पुत्री कुईयाराम
1/8 खरगी पुत्री कुईयाराम
1/9 माफी पुत्री कुईयाराम जातिगण मीणा निवासीगण लाल पोल के अन्दर, जालोर
2. भेराराम पुत्र भोमाराम जाति मीणा निवासी लाल पोल के अन्दर, जालोर
3. हंजादेवी पत्नि भबूताराम जाति मीणा निवासी लाल पोल के अन्दर, जालोर
4. वेनाराम पुत्र भबुताराम जाति चौधरी निवासी सामतीपुरा तहसील व जिला जालोर
5. नेनाराम पुत्र भबुताराम जाति चौधरी निवासी सामतीपुरा तहसील व जिला जालोर
6. सीता पुत्री भबुताराम जाति चौधरी निवासी सामतीपुरा तहसील व जिला जालोर
7. पवनी पुत्री भबुताराम जाति चौधरी निवासी सामतीपुरा तहसील व जिला जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री चुन्नीलाल पुरोहित, श्री चन्दनमल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 17.11.2017

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2001 कुईयाराम वगैरा बनाम मानाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं

डिक्री दिनांक 30.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। नियत तारीख पेशी पर उभयपक्ष ने उपस्थित होकर अपील को जरिये राजीनामा निस्तारित कराने का निवेदन किया।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट कुईयाराम ने अपीलाण्ट्स तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 7 के पति/पिता भबूताराम के विरूद्ध खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर सरहद मौजा जालोर के गत खसरा नम्बर 554 के हाल खसरा नम्बर 4254, 4255 व 4256 की भूमि जो पटवार हल्का लेटा में स्थित है, की खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा। मातहत अदालत द्वारा प्रकरण में सुनवाई करते हुए दिनांक 08.02.2007 को वादीगण का वाद डिक्री कर वादीगण को खातेदार घोषित किया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट्स ने इस न्यायालय में अपील दायर करवाई, जो दिनांक 28.03.2011 को अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय की निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2007 को अपास्त कर प्रकरण इन निर्देशों के साथ मातहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलाण्ट्स–प्रतिवादीगण को जवाबदावा प्राप्त कर साक्ष्य सबूत लिये जाकर, दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिक तनकीयात कायत कर तनकीवार अपना विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट कुईयाराम के वारिशान द्वारा अपील प्रस्तुत की गई, जो दिनांक 29.06.2015 को जरिये राजीनामा निस्तारित की गई। इसके पश्चात इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 62/2008 में पारित निर्णय दिनांक 28.03.2011 की पालना में उपखण्ड अधिकारी जालोर द्वारा जैर अपील आदेश पारित करते हुए पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2007 को ही यथावत रखा। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने यह अपील प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सामतीपुरा तहसील जालोर के गत खसरा नम्बर 554, जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 4254, 4255 व 4256 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 5.48 हैक्टेयर की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही मोती पुत्र छतरा कलबी, रामा पुत्र मोती कलबी के कब्जे काश्त में थी, इस कारण काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर मोती तथा रामा को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मातहत अदालत के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर उक्त भूमि स्वयं की होना बताते हुए खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा, जिसमें मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट–प्रतिवादीगण को समुचित सुनवाई का अवसर ही नही दिया तथा न ही किसी प्रकार की तनकी कायम की। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट–प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही वाद को वादी के पक्ष में डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 28.03.2011 को निर्णय पारित किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कोई नवीन प्रक्रिया अपनाऐ बिना पूर्व में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.02.2007 को ही यथावत रख दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हंजा पत्नि भबूताराम के प्रार्थना पत्र पर अपीलाण्ट्स का जवाब लिये बिना ही बतौर वादी पक्षकार संयोजित कर जैर अपील भूमि की क्रेता मानते हुए वाद को हंजादेवी के पक्ष में डिक्री किया, जबकि जिस विक्रय विलेख से हंजादेवी ने उक्त भूमि क्रय की है, उस विक्रय विलेख को माननीय जिला न्यायालय जालोर द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इस कारण हंजादेवी का इस भूमि में किसी प्रकार का हित निहित नही है तथा इस आधार पर जैर अपील निर्णय भी आक्षेपित है। अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के मध्य न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में राजीनामा प्रस्तुत हो चुका है तथा उसी राजीनामे के आधार पर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रकरण निस्तारित किया गया है। अब रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त भूमि अपीलाण्ट की मानते हुए इस न्यायालय के समक्ष भी राजीनामा प्रस्तुत किया है, अतः राजीनामा स्वीकार करावे एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2016 को अपास्त कराते हुए अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 7 के पक्ष में डिक्री प्रदान करावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके तथा अपीलाण्ट्स के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा जैर अपील वादस्थ भूमि को वे अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 7 की होना स्वीकार करते है, लिहाजा अपील को जरिये राजीनामा निस्तारित करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में सिलसिलेवार हुए निर्णयों एवं दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में ग्राम जालोर–बी के वर्तमान खसरा नम्बर 4254, 4255 व 4256 कुल खसरा 3 जिसका कुल रकबा 5.4800 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि कुईयाराम पुत्र भोमाराम, भेराराम पुत्र भोमाराम कौम मीणा सा0 जालोर खातेदार दर्ज है। इससे पूर्व उक्त भूमि माना वल्द सोना 1/2, वेनाराम, नेनाराम पि0 भबूताराम, मु. सुकीदेवी बेवा भबूताराम, छोगाराम, पूनमाराम, रगाराम पि0 रामा, मु. सारकी बेवा रामा 1/2 कौम कलबी सा0 सामतीपुरा खातेदार दर्ज थे। इससे यह स्पष्ट है कि कुईयाराम एवं भेराराम के नाम राजस्व रेकर्ड में जो प्रविष्ठि तहरीर की गई है, वह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जालोर के निर्णय दिनांक 08.02.2007 की पालना में जरिये नामान्तरकरण संख्या 2246 दिनांक 06.09.2013 के द्वारा इन्द्राज किया गया है। उपखण्ड अधिकारी जालोर ने अपने निर्णय दिनांक 08.02.2007 एवं 30.06.2016 को मुख्य रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का उल्लंघन मानते हुए अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 7 के पूर्वजों के नाम दर्ज खातेदारी को विधि विरूद्ध मानते हुए कुईयाराम पुत्र भोमाराम एवं भेराराम पुत्र भोमाराम का खातेदार घोषित किया है तथा निर्णय दिनांक 30.06.2016 में क्रेता हंजादेवी पत्नि भबूताराम को खातेदार घोषित किया गया है। जबकि हंजादेवी को जिस विक्रय विलेख के जरिये भूमि का विक्रय किया गया है, उक्त विक्रय विलेख को माननीय जिला न्यायालय, जालोर द्वारा दीवानी मूल प्रकरण संख्या 5/2009 में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2017 के जरिये निरस्त किया जा चुका है। इस स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 इस प्रकरण में मात्र Stranger person ही समझी जा सकती है। हालांकि हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष ने आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर अपील को जरिये राजीनामा निस्तारित कराने का निवेदन किया है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 नियम 3 के अनुसार प्रकरण को डिक्री किये जाने में कोई विधिक बाधा नही है, किन्तु प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित होने के कारण कानूनी दृष्टिकोण से प्रकरण को रेखांकित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु यह प्रकट होता है कि मोती पुत्र छतरा कलबी, रामा पुत्र मोती कलबी के नाम दर्ज खातेदारी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 को किस हद तक प्रभावित करती है ? इस सम्बन्ध में दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण–रेस्पोडेन्ट कुईयाराम व भैराराम द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया है, उस वाद के पद संख्या 1 में उन्होने यह अंकित किया कि सरहद मौजा जालोर के खसरा नम्बर 808, 809, 810 व 811 कुल खसरा 4 जिसका कुल रकबा 31 बीघा 17 बिस्वा की भूमि का नामान्तरकरण दिनांक 27.01.1953 को भोमा पुत्र भीका के नाम से दायर किया गया है, उसके पश्चात सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दिनांक 24.10.1958 को रामा वल्द मोती तथा माना वल्द मोती जातिगण चौधरी कलबी निवासी सामतीपुरा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये। इससे पूर्व महकमा हवाला जोधपुर गवर्जमेन्ट द्वारा इस भूमि के लगान अदायगी की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जो रसीद जारी की गई है, उसमें भी खातेदार के तौर पर मोती वल्द चतरा कौम कलबी का नाम दर्ज है। इसके पश्चात भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जो पर्चा नोटिस जारी किया गया है, उसमें माना वल्द सोना 1/2, रामा वल्द मोती 1/2 कौम कलबी सा0 सामतीपुरा खातेदार दर्ज किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व मारवाड स्टेट के समय भी उक्त भूमि पर मोती वल्द चतरा काबिज था तथा उसी के आधार पर लगान अदायगी की जाती थी तथा रेकर्ड में मोती वल्द चतरा का नाम बतौर खातेदार दर्ज था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 23.03.1955 से प्रभावशील है, इससे पूर्व जोधपुर गवर्नमेन्ट के समय से ही अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 4 से 7 के पूर्वज मोती वल्द चतरा बतौर खातेदार रेकर्ड में दर्ज थे। वर्ष 1953 में दायर की गई प्रविष्ठि को वर्ष 1958 में विलोपित करते हुए भूमि पुनः मोती वल्द चतरा तथा माना वल्द मोती के नाम दर्ज की गई है। अब प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या प्रकरण में धारा 42 का उल्लंघन पाया जाता है ? तो इस सम्बन्ध में धारा 42 को रेखांकित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में धारा 42 वर्ष 1964 में जोडा गया है। चूंकि जैर अपील प्रकरण में वादस्थ भूमि की खातेदारी के सम्बन्ध में हुए सिलसिलेवार परिवर्तन वर्ष 1953 से 1958 के मध्य ही हो चुके थे, उस समय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 लागू ही नही थी तथा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान Retrospective effect से लागू नही होने के कारण हस्तगत प्रकरण को किसी भी रूप में प्रभावित नही करती है। इस कारण हस्तगत अपील को जरिये राजीनामा निस्तारित करने में किसी प्रकार की कानूनी बाधा प्रकट नही होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट की अपील जरिये राजीनामा स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2001 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ मातहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामें को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त प्रावधानो की पालना करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली